# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 4598/2022**

कमलेश शाह **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाडा (राज.)।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 12.09.2022
**आदेश की दिनांक** : 01.11.2022

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री एस.के.सिंगोदिया, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडलीपाडा, बांसवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कारजी, बांसवाडा किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया है जबकि स्थानान्तरण नीति के अनुसार बालिका विद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी प्रधानाध्यापक के पद का कार्य कर रहा है। दूसरे कार्मिक को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो दुर्भावनापूर्ण है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी देय नहीं है तथा उसने

स्थानान्तरण हेतु कोई आवेदन विभाग में नहीं दिया, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया जो अनुचित एवं अवैध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडलीपाडा, बांसवाडा में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल न दिए जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर अंकित है, जिसमें यात्रा भत्ता एवं योगकाल अनुज्ञेय है। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**